41–(08)–13–2017

पटना में दिनांक–18 अक्टूबर, 2017 बुधवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत 13 नये स्वीकृत आवासीय विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमण करने हेतु नये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

2. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत 21 आवासीय विद्यालयों (परिशिष्ट–1) के भवनों (720 आसन) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत 3 आवासीय विद्यालयों (परिशिष्ट–2) के भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय ₹ 34.83 करोड़ की दर से अनुसूचित जाति के लिए ₹ 731.43 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 104.49 करोड़ अर्थात कुल– ₹ 835.92 करोड़ (आठ सौ पैंतीस करोड़ बानवे लाख रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम् लि० के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए ₹ 219.42 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 31.34 करोड़ अर्थात कुल ₹ 250.76 करोड़ (दो सौ पचास करोड़ छिहत्तर लाख रूपया) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति।

2. स्वीकृत।

कृषि विभाग

3. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" अन्तर्गत केन्दांश 2500.00 लाख (पचीस करोड़) रूपये तथा राज्यांश 1666.67 लाख (सोलह करोड़ छियासठ लाख सरसठ हजार) रूपये कुल 4166.67 लाख (एकतालीस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार) रूपये की लागत से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

3. स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 6542.22 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ बयालीस लाख बाईस हजार रूपये) {केन्द्रांश 2990.556 लाख (उनतीस करोड़ नब्बे लाख पचपन हजार छः सौ) रूपये, राज्यांश 1993.704 लाख (उन्नीस करोड़ तीरानवे लाख सत्तर हजार चार सौ)} रूपये एवं राज्य योजना 1557.96 लाख (पन्द्रह करोड़ संतावन लाख छियानवे हजार) रूपये के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति। 4. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

5. श्री बबलू चौधरी, सहायक अभियंता (असैनिक) गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, रजौली, नवादा को स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए आदेश निर्गत की तिथि से सेवामुक्त करने के संबंध में। 5. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

6. मो० शादिक हुसैन (आई०डी०–5135), तत० अवर प्रमंडल पदाधिकारी (सहायक अभियंता), मुख्य पश्चिमी नहर अवर प्रमंडल, त्रिवेणीगंज, वाल्मीकिनगर सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता मुख्यालय अधीक्षण अभियंता का कार्यालय पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी को नेपाल हितकारी योजना–2009 गंडक परियोजना के अन्तर्गत एकरारनामा के विरूद्ध स्थानीय सामग्री का उपयोग करने संबंधी वित्तीय अनियमितताओं एवं जानबूझकर सरकारी राशि के गबन करने में सहयोग करने संबंधी आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

7. बिहार राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर LED पथ प्रकाश व्यवस्था को उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम M/s Energy Efficiency Services Ltd. के माध्यम से अधिष्ठापित करने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की स्थापना हेतु M/s Energy Efficiency Services Ltd. से मनोनयन के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु स्वीकृति के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2017–18 में 02 प्रमंडल मुख्यालय एवं 12 (बारह) जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण हेतु रू० 35.22 करोड़ (पैंतीस करोड़ बाइस लाख रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति। 8. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

9. राज्य में सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना की स्वीकृति के संबंध में। 9. स्वीकृत।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

10. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए 100 आसन का 5 (पाँच) एवं 200 आसन का 6 (छः) कुल–11 छात्रावास भवनों (परिशिष्ट–1) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 100 आसन का 4 (चार) (परिशिष्ट–2) छात्रावास भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार 100 आसन वाले प्रति छात्रावास ₹ 345.61 लाख और 200 आसन वाले प्रति छात्रावास ₹ 626.59 लाख की दर से अनुसूचित जाति के लिए कुल– ₹ 5487.60 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल–₹ 1382.44 लाख अर्थात कुल–₹ 6870.04 लाख (अड़सठ करोड़ सतर लाख चार हजार रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनुसूचित जाति के लिए ₹ 1646.28 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 414.73 लाख अर्थात कुल ₹ 2061.01 लाख (बीस करोड़ एकसठ लाख एक हजार रूपया) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ–साथ आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति। 10. स्वीकृत।

कृषि विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2017–18 में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब – मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना तथा इससे संबंधित राज्य योजना का 9806.9286 लाख (अंठानवे करोड़ छः लाख बेरानवे हजार आठ सौ साठ रूपये) {वर्ष 2017–18 की बजट से 9038.8516 लाख (नब्बे करोड़ अड़तीस लाख पचासी हजार एक सौ साठ) रूपये तथा अव्यवहृत अवशेष 768.077 लाख (सात करोड़ अड़सठ लाख सात हजार सात सौ)} रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति। 11. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

12. भवन निर्माण विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय) आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2017 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

वित्त विभाग

13. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. राज्य के सभी जिलों में अवस्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में आई०एस०सी० कृषि विषय के अध्यापन कार्य हेतु प्रति विद्यालय दो शिक्षक के नियोजन हेतु ₹ 1,83,12,960/–(एक करोड़ तिरासी लाख बारह हजार नौ सौ साठ) के वार्षिक व्यय भार पर 76 शिक्षकों के स्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू० 77,00,00,000/–(सत्तहत्तर करोड़ रूपये) मात्र तथा तीन स्वायत शासी उत्कृष्ट शैक्षणिक केन्द्रों के स्थापना/ संचालन हेतु रू० 17,95,00,000/–(सत्तरह करोड़ पंचानवे लाख रू०) मात्र अर्थात कुल 94,95,00,000/– (चौरानवे करोड़ पचानवें लाख रू०) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से बजटीय उपबंध की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

16. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 09 (नौ) परीक्षा भवनों एवं 09 (नौ) क्षेत्रीय कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ₹ 1,61,39,118/–(एक करोड़ एकसठ लाख उन्तालिस हजार एक सौ अठारह) के सम्भावित वार्षिक व्यय भार (बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वहन किया जाएगा) पर विभिन्न श्रेणी के कुल–21 (इक्कीस) पदाधिकारियों का पद सृजित करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

17. पटनासिटी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत बाईपास थाना (एन०एच०–30) भाया मरचा–मर्ची होते हुए पटना सुरक्षा बाँध (माधोपुर) तक पथ के कि०मी० 1.00 से 7.15 (कुल 5.72 कि०मी०, चैनेज 2600 से 3030 तक को छोड़कर) एवं लिंक पथ के कि०मी० 0.00 से 2.30 तक (कुल 2.30 कि०मी०) यानि कुल 8.02 कि०मी० पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, Utility Shifting कार्य, डायवर्सन निर्माण कार्य, लौंगिच्यूडन ड्रेन निर्माण कार्य, ह्यूम पाईप कल्भर्ट कार्य, उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य कुल 3322.82 लाख (तैंतीस करोड़ बाईस लाख बेरासी हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

17. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

18. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन बिहार विकास मिशन, पटना को राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित राशि 200.00 करोड़ (दो अरब रूपये) में से 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

18. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

19. समादेश याचिका संख्या–18015/2015 में दिनांक–02.02.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियांवा, अनुमण्डलीय अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालीगंज, पटना में कार्यरत कर्मियों/सेवानिवृत कर्मियों /पदाधिकारियों के भविष्य निधि एवं अन्य सेवान्त लाभ मदों से हुई अवैध निकासी के आलोक में श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (सेवानिवृत) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं अन्य सदृश्य मामलों में अन्य कर्मियों की ब्याज सहित (माह अगस्त 2017 तक) देय राशि कुल 3,55,77,320/–(तीन करोड़ पचपन लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की स्वीकृति (सूची संलग्न)।

19. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

20. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2017 के प्रभाव से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

21. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2017 के प्रभाव से 136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

22. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01.07.2017 के प्रभाव से 264 प्रतिशत के स्थान पर 268 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति। 22. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

23. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। 23. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

24. पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर की राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत निर्माण किए जाने वाले 330 पंचायत सरकार भवनों हेतु स्वीकृत राशि की दर पुनरीक्षण के कारण प्रति पंचायत सरकार भवन के पुनरीक्षित अनुमानित राशि ₹ 1,44,31,000.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख इक्तीस हजार रूपये) मात्र की दर से 330 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति। 24. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

25. बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006 के नियम 3 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 25. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

26. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में "हर घर को विद्युत संबंध" देने हेतु 1897.50 करोड़ (एक हजार आठ सौ संतानवे करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजनान्तर्गत बिना मीटर वाले विद्युत संबंधों में मीटर स्थापित करने, वैसे विद्युत संबंध, जहाँ मीटर घर के अन्दर हो, उसे घर के बाहर डोर बेल लोकेशन पर अधिष्ठापित करने, 11 के०भी० 2 फेज तार को 3 फेज तार करने; जहाँ न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं है, वहाँ न्यूट्रल तार (Neutral wire) उपलब्ध कराने एवं आवश्यकतानुसार सामग्रियों के साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत संबंध की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

26. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

27. राज्य योजनान्तर्गत 9 प्रखंड में प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना के प्रतिस्थापन तथा आर०आई० डी०एफ० XXI योजनान्तर्गत एक प्रखंड में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का प्रतिस्थापन के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

27. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल के मौजा–भद्रेश्वर एवं भटियाही के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा–137.2 डिसमिल (भूमि विवरणी परिशिष्ट–I संलग्न) भूमि जोगबनी–विराटनगर (नेपाल) Broad Gauge रेल परियोजना हेतु कुल 2,23,38,000/– (दो करोड़ तेईस लाख अड़तीस हजार) रू० के भुगतान पर पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे (N.F.Railway), भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

28. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. कैमूर जिलान्तर्गत भगवानपुर अंचल के मौजा–कुड़वा, थाना सं०–797, खाता नं०–17, खेसरा नं०–02, रकवा–10.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म पुरानी परती भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय, कुड़वा के स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

29. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

30. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1409 (6)/रा०, दिनांक–12.12.2008 को रद्द करते हुए सुपौल जिलान्तर्गत बसंतपुर अंचल के मौजा–भीमनगर के थाना सं०–01, खाता सं०–339, खेसरा सं०–408, रकबा–2.60 एकड़ की भूमि को कस्टम विभाग, भीमनगर के भवन निर्माण हेतु 45,00,000/–(पैंतालिस लाख) रू० प्रति एकड़ की दर से 2.60 एकड़ भूमि का बाजार मूल्य 1,17,00,000/– (एक करोड़ सत्रह लाख) रू० सलामी एवं सलामी का पांच प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य 1,46,25,000/–(एक करोड़ छियालिस लाख पच्चीस हजार) रू० अर्थात कुल मूल्य 2,63,25,000/–(दो करोड़ तिरसठ लाख पच्चीस हजार) रू० के भुगतान पर कस्टम विभाग, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

30. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

31. जगदीशपुर–हल्दिया गैस पाइप लाईन योजनान्तर्गत सेक्शनाईजिंग वाल्व स्टेशन निर्माण हेतु गया जिलान्तर्गत अतरी अंचल के मौजा–सीढ़, थाना नं०–84, खाता सं०–497 के खेसरा सं०–2808, रकबा–1.43 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म भीठ–2 भूमि 88268/– (अठासी हजार दो सौ अड़सठ) रू० प्रति डिसमिल के दर से 1,26,22,324 रू० सलामी एवं सलामी का पॉच प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 6,31,116/–रू० का पच्चीस गुणा अर्थात 1,57,77,900/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–2,84,00,224/–(दो करोड़ चौरासी लाख दो सौ चौबीस) रू० के भुगतान पर गेल (इण्डिया) लिमिटेड, पटना (भारत सरकार के उपक्रम) को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।

31. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

32. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य आयोग नियमावली, 2014 में प्रथम संशोधन करते हुए बिहार राज्य खाद्य आयोग (संशोधन), नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।

32. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

33. बाढ़ 2017 के मद्देनजर कृषि इनपुट अनुदान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 894.72 करोड़ (आठ सौ चौरानवे करोड़ बहत्तर लाख रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

33. स्वीकृत।

विधि विभाग

34. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में कम्प्यूटर कोषांग के लिए सृजित विभिन्न तकनीकी पदों में से उप–निबंधक सूचना प्रौद्योगिकी के एक (01) पद हेतु वर्त्तमान में निर्धारित अपेक्षित योग्यता में विकल्प के रूप में अतिरिक्त अर्हता जोड़े जाने के संबंध में। 34. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

35. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में प्रस्तावित डिजिटाईजेशन कोषांग के गठन हेतु, 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से, सृजित सामान्य मजदूर के 20 पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता के शर्त्तों में संशोधन एवं व्यय के विकलन हेतु बजट शीर्ष में अल्प संशोधन के संबंध में। 35. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

36. पटना न्यायमंडल अंतर्गत छज्जूबाग, पटना में न्यायिक पदाधिकारियों के आवासन हेतु दो ब्लॉक बहुमंजलीय आवासीय भवन (G+7) निर्माण के निमित कुल 51,92,03,000/–(एकावन करोड़ बेरानवे लाख तीन हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। 36. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

37. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2009 में संविदा के आधार पर नियोजित 1103 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत 515 कनीय अभियंता (असैनिक) का उनके वर्त्तमान नियोजन अवधि की समाप्ति की तिथि से एवं पूर्व में कार्यरत रहे 02 कनीय अभियंता (असैनिक) का उनके एकरारनामा की तिथि से कुल 517 कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन। 37. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

38. रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिला में सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पश्चिमी मुख्य नहर, आरा मुख्य नहर एवं इससे निःसृत प्रणालियों के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य के योजना का समर्पित विस्तृत योजना प्रतिवेदन पर सी०डब्लू०सी० एवं ए०डी०बी० द्वारा की गई पृच्छाओं का निराकरण एवं सी०डब्लू०सी० एवं ए०डी०बी० से विस्तृत योजना प्रतिवेदन की स्वीकृति हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 200.60 लाख (दो करोड़ साठ हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। 38. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

39. कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हड़िया वितरणी का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 8183.32 लाख (इक्कासी करोड़ तिरासी लाख बत्तीस हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

39. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

40. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2011 में संविदा के आधार पर नियोजित 435 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत 216 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत 01 कनीय अभियंता (असैनिक) का वर्त्तमान नियोजन की समाप्ति की तिथि से तथा पूर्व में कार्यरत रहे वर्ष 2011 के 01 कनीय अभियंता (असैनिक) का एकरारनामा की तिथि से कुल 218 कनीय अभियंता (असैनिक) का अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन।

40. **स्वीकृत।**